मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 03/08/2023

क्रमांक F-3/1/7/9/0002/2023/Sec-1-10:: विभाग के आदेश क्रमांक 805/226/2022/10-1, दिनांक 11.04.2023 द्वारा श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, कटंगी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट को काष्ठागार अधिकारी, भौरा उत्पादन वनण्डल बैतूल में पदस्थ किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 9025/2023 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय व्दारा याचिका पर दिनांक 20.04.2023 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गयेः-

Petition is accordingly disposed of directing respondent No. 1 to consider the pending representation dated 12.04.2023 within the period of 30 days. It is also directed that if respondent No. 1 thinks fit to get the representation decided by some subordinate authority, he may authorize the said authority for deciding the same.

By way of interim measure, it is also directed that till the decision of representation or for the period of 30 days whichever is earlier petitioner shall be allowed to continue at the present place of posting i.e. Balaghat.

Accordingly, with the above direction, petition is disposed of.

मान उच्च न्यायालय ने पारित निर्णय में याचिकाकर्ता व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 12.04.2023 का निराकरण 30 दिवस में करने तथा निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन के निराकरण होने अथवा 30 दिवस की अवधि तक जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना पर यथावत बने रहने हेतु निर्देशित किया है।

2/ श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल व्दारा दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया हैः-

1. यह कि शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी से स्थानांतरित कर वन परिक्षेत्र कटगी में पदस्थ किया गया। इसके पूर्व उन्हें संचालक पेंच पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के आदेश दिनांक 21.01.2020 व्दारा अरी वफर परिक्षेत्र से परिक्षेत्र घाटकोहका वफर में की गई थी। वर्तमान पदस्थापना 01 वर्ष 08 माह ही थी एवं वर्तमान पदस्थापना पर उनके विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई किन्तु उन्हें पुनः स्थानांतरित कर परिक्षेत्र भौरा उत्पादन में पदस्थ किया गया। इस प्रकार पिछले 03 वर्षो के दौरान उनका 03 बार स्थानांतरण किया गया।
2. यह कि बार-बार स्थानांतरण से उनके परिवार एवं बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हो रहा है। शिक्षण सत्र के मध्य में एवं लगातार स्थानंतरण के कारण उनके दोनों बच्चियों की शिक्षा निरंतर प्रभावित हो रही है।

निरन्तर........2

3/ वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत उनके पदस्थापना पर विचार कर सकता है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2023 द्वारा श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, कटंगी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट को काष्ठागार अधिकारी, भौरा उत्पादन वनण्डल बैतूल में की गई पदस्थापना में संशोधन कर वन परिक्षेत्र अधिकारी, रहट्गांव, सामान्य वनमण्डल हरदा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/8/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांकः F-3/1/7/9/0002/2023/Sec-1-10, भोपाल दिनांक 03/08/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी..
7. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
9. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/8/23
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

Order 2023H.S.Ahirwar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक/प्रशा–।।/स्था–3/व.क्षे.कक्ष/ 4496 भोपाल,दिनांक 4/8/2023

प्रतिलिपिः

1 मुख्य वन संरक्षक, बालाघाटं/बैतूल/नर्मदापुरम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल हरदा/दक्षिण बालाघाट/उत्पादन वनमंडल बैतूल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि श्री विवेक कुमार नाग, वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।

04.08.23

(हरिशंकर मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा–।।)
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 03/08/2023

क्रमांक F-1/1/4/0044/2023/Sec-1-10:: राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2022 द्वारा श्री इमरान कुरैशी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर लामता, उत्पादन वनमण्डल उत्तर बालाघाट से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी खालवा (पिपलौद) सामान्य वनमण्डल खण्डवा में गई पदस्थापना में संशोधन कर वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर, उत्तर बालाघाट के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/8/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांकः F-1/1/4/0044/2023/Sec-1-10, भोपाल दिनांक 03/08/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...
7. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
9. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/8/23
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

S-3
03/08/23

Order 2023 H.S.Ahirwar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक / प्रशा–।। / स्था–3 / व.क्षे.कक्ष / 4497 भोपाल,दिनांक 4/8/2023

प्रतिलिपिः

1 मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट / खंडवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खंडवा / उत्तर बालाघाट / उत्पादन वनमंडल उत्तर बालाघाट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री इमरान कुरैशी, वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि श्री इमरान कुरैशी, वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।

04.08.23

(हरिशंकर मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा–।।)

मध्यप्रदेश भोपाल